

6.01.26

पत्रावली पेश हुई। प्राधी के अधिवक्ता अनु-  
परिस्थित। अप्राधी के अधिवक्ता उपस्थित।  
अधिवक्ता प्राधी पूर्व में 06 पेशियों पर  
न्यायालय में अनुपरिस्थित रहे। अधिवक्तागण  
को न्यायालय में प्रभवी पैरवी करने हेतु  
बार को पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय  
के नियत समय व समय पश्चात अधिवक्तागण  
को बार बार आवाज लगाई गई। अधिवक्ता  
प्राधी को सुनवाई हेतु अनेक अवसर देने के  
बावजूद भी न्यायालय में अनुपरिस्थित रहने  
पर पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारीज की जाती है।  
पत्रावली खारीज उपरांत नंबर से कम ही।

  
जिला कलेक्टर  
बालासोर